

व्यवसाय सहयोग विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, दरभंगा

अनुलग्नक 6

(यह एक प्रोफार्मा है, क्षेत्रीय कार्यालय निविदा जारी करने के लिए जारी परिसर नीति और दिशानिर्देशों के भीतर, क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन कर सकता है)

पट्टे के आधार पर परिसर प्राप्त करने के लिए निविदा दस्तावेज़ प्रारूप

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, दरभंगा, 1000 वर्ग के कालीन फर्श क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक पट्टे के आधार पर उपयुक्त परिसर के लिए सीलबंद निविदाएं आमंत्रित करता है। इसके लिए केवटी रनवे शाखा/कार्यालय परिसर में और आसपास के इलाके में रुचि रखने वाले मालिकों/मुख्तारनामा धारकों के लिए अधिमानतः भूतल पर परिसर में उचित प्रवेश द्वार के साथ और केबीए पावर कनेक्शन और पार्किंग सहित सभी सुविधाओं के साथ।

तकनीकी बोली और वित्तीय बोली प्रारूप बैंक की वेबसाइट [www.centralbankofindia.co.in] से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये प्रारूप हमारे क्षेत्रीय कार्यालय में भी उपलब्ध हैं और कार्यालय समय के दौरान एकत्र किए जा सकते हैं।

पूर्व-योग्यता के लिए न्यूनतम मानदंड निम्नानुसार होंगे:

का. आवेदक (ओं) को परिसर के वास्तविक मालिक (ओं) या मुख्तारनामा धारक (ओं) होना चाहिए;

ख. आवेदक (ओं) को पैन नंबर के साथ एक आयकर निर्धारिती होना चाहिए। और इसके कर रिटर्न अद्यतन होने चाहिए।

ग. भवन का निर्माण सक्षम विकास प्राधिकरण की स्वीकृत योजना के अनुसार किया जाना चाहिए। इमारत का रखरखाव अच्छी तरह से किया जाना चाहिए और यह 20 साल से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए।

घ. परिसर अच्छी आवासीय/वाणिज्यिक इलाके में भूतल/पहली मंजिल पर उचित पहुंच और समर्पित पार्किंग के प्रावधान के साथ स्थित होना चाहिए।

ङ. इमारत में आग, जल भराव, बाढ़ आदि जैसे विशेष खतरों से मुक्त होनी चाहिए।

च. परिसर में चौबीसों घंटे पर्याप्त पेयजल की आपूर्ति उपलब्ध होनी चाहिए और स्थानीय नगरपालिका अधिकारियों से उचित अनुमोदन/मंजूरी हाथ में होनी चाहिए।

छ. मकान मालिक को नगरपालिका, निगम के साथ-साथ राजस्व अधिकारियों के सभी देय राशि और अन्य वैधानिक दायित्वों को पूरा करना चाहिए।

ज. परिसर को पट्टे पर देने के लिए स्थानीय अधिकारियों से परिसर का अधिभोग प्रमाण पत्र (अपार्टमेंट के मामले में) उपलब्ध होना चाहिए।

झ. बैंक द्वारा आवश्यक परिवर्तन/बदलाव करने के बाद मकान मालिक परिसर को तुरंत खाली करने की स्थिति में होना चाहिए।

1. निविदाएं जमा करने की विधि: निविदाएं केवल सीलबंद लिफाफे में ही जमा की जानी चाहिए।

निविदा कवर के तीन भाग होंगे:

- पहला कवर - तकनीकी बोली कवर - इस कवर में सभी पृष्ठों में बोली लगाने वाले/बोली लगाने वालों द्वारा विधिवत भरे और हस्ताक्षरित आवेदन का भाग शामिल होना चाहिए, साथ ही आवश्यक संलग्नक भी। कवर बंद और

व्यवसाय सहयोग विभाग , क्षेत्रीय कार्यालय , दरभंगा

सील किया जाना चाहिए और " केवटी रनवे शाखा/कार्यालय परिसर के लिए तकनीकी बोली (अनुलग्नक ए के अनुसार)" के रूप में सुपर लिखा जाना चाहिए और कवर पर बोली लगाने वाले का नाम और पता भी होना चाहिए।

- दूसरा कवर - वित्तीय बोली कवर - इस कवर में बोली लगाने वाले/बोली लगाने वालों द्वारा सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षरित आवेदन का भाग शामिल होना चाहिए। इस कवर को बंद और सील कर दिया जाना चाहिए और " केवटी रनवे शाखा/कार्यालय परिसर के लिए वित्तीय बोली (अनुलग्नक बी के अनुसार)" के रूप में सुपर स्क्राइब किया जाना चाहिए और कवर पर बोली लगाने वाले का नाम और पता भी होना चाहिए।

- तीसरा कवर - पहले और दूसरे दोनों कवर को तीसरे कवर में रखा जाना चाहिए और " केवटी रनवे शाखा/कार्यालय परिसर के लिए सीलबंद निविदा" के रूप में सुपर स्क्राइब किया जाना चाहिए और सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, बीएसडी विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, दरभंगा को संबोधित किया जाना चाहिए।

2. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि: 24.07.2026 को 05:30 बजे तक।

3. प्रस्तुत करने के लिए स्थान: सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय, दरभंगा ।

4. निविदाएँ क्षेत्रीय कार्यालय, दरभंगा में 30.07.2026 पर या बैंक द्वारा नियत समय में तय किसी भी तारीख को खोली जाएंगी।

5. बोली लगाने वाले को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निविदा निर्दिष्ट तिथि और समय से पहले बैंक द्वारा प्राप्त हो जाए और डाक या किसी भी प्रकार की देरी के लिए कोई विचार नहीं दिया जाएगा। निर्दिष्ट तिथि और समय के बाद प्राप्त निविदाएं अस्वीकार की जा सकती हैं और निर्णय बैंक के एकमात्र विवेक पर है।

6. सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को स्वीकार करने या अस्वीकार करने या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और तकनीकी रूप से उपयुक्त बोली लगाने वाले को आदेश देने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है जो सबसे कम नहीं हो सकता है क्योंकि यह उचित और उचित समझता है।

7. केवल बिना शर्त निविदाएं स्वीकार की जाएंगी। कोई भी सशर्त निविदा अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी होगी। वित्तीय निहितार्थ वाली कोई भी शर्त लगाने का इच्छुक बोलीदाता को उचित रूप से निविदा को लोड करना चाहिए और निविदा में कोई शर्त नहीं रखनी चाहिए।

8. बैंक तकनीकी बोली निविदा में प्रदान की गई जानकारी के आधार पर बैंक की आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तावों को शॉर्टलिस्ट करेगा, अर्थात्, प्रस्तावित स्थल का स्थान, परिसर का क्षेत्र, मुख्य सड़क से पहुंच, पार्किंग की जगह, सुविधाएं और अन्य बुनियादी ढांचे (जैसे लिफ्ट, बैंक अप डीजी सेट आदि) और तकनीकी बोली में उल्लिखित अन्य आवश्यक आवश्यकताएं।

9. तकनीकी बोली के आधार पर प्रस्तावों की शॉर्टलिस्टिंग के बाद वित्तीय बोली खोली जाएगी। वित्तीय बोली केवल उन शॉर्टलिस्ट किए गए प्रस्तावों के लिए खोली जाएगी, जो भविष्य की तारीख पर होगी और शॉर्टलिस्ट किए गए बोलीदाताओं को बाद की तारीख पर सूचित किया जाएगा।

10. संभावित प्रस्ताव के चयन पर बैंक का निर्णय अंतिम है।

11. विवाद की स्थिति में बैंक का निर्णय अंतिम और सभी पर बाध्यकारी होगा।

12. किराया: बैंक मकान मालिक से कब्जा लेने की तारीख से किराया देना शुरू कर देगा। कब्जा लेने से पहले, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मकान मालिक द्वारा उचित अधिकारियों से आवश्यक अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त

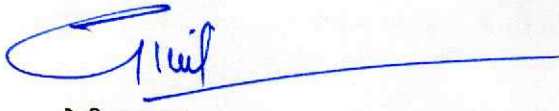
व्यवसाय सहयोग विभाग , क्षेत्रीय कार्यालय , दरभंगा

किया गया है और मकान मालिक द्वारा किए जाने के लिए सहमति वाले परिवर्तन वास्तव में बैंक की संतुष्टि के लिए किए गए हैं। फ्लोर एरिया के आधार पर परिसर का संयुक्त माप लिया जाएगा।

13. पट्टे के दस्तावेजों का निष्पादन: एक बार जब परिसर बैंक द्वारा पट्टे पर ले लिया जाता है, तो बैंक के मानक पट्टे प्रारूप के अनुसार पट्टे का विलेख निष्पादित किया जाएगा और इसे उचित अधिकारियों के साथ पंजीकृत किया जाएगा। पंजीकरण से संबंधित स्टाम्प शुल्क मकान मालिक और बैंक द्वारा 50:50 आधार पर वहन किया जाएगा।

14. प्रस्तावित परिसर राष्ट्रीय राजमार्ग (नेशनल हाइवे) विस्तार योजना से मुक्त होना चाहिए।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के लिए,



क्षेत्रीय प्रमुख

क्षेत्रीय कार्यालय, दरभंगा

अनुलग्नक ए

(तकनीकी बोली के लिए प्रोफार्मा)